रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112026-277841
CG-DL-E-11112026-277841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2026/कार्तिक 12, 1948
No. 652] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2026/KARTIKA 12, 1948

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2026

सं. ए-12(11)5/2024-स्था. I.—निम्नलिखित प्रारूप विनियम,जिन्हें निगम, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 157 की उपधारा (1),उपधारा (2) के खंड (ग) एवम धारा 24 की उपधारा (8) के खंड (क) और (9) के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप निदेशक भर्ती विनियम, 2014जिन्हें निगम द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके बनाया गया था, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा संबंधी उक्त संहिता की धारा 164 द्वारा निरस्त किया गया है, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, बनाने का प्रस्ताव किया जाता है और इन्हें धारा 158 में यथा वांछित प्रावधान के अनुसार इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, सरकारी राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, की प्रतियां प्रकाशित होने की तारीख से इन्हें आम जनता को उपलब्ध कराए जाने के 45 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

यदि कोई आपत्तियां और सुझाव हों, तो उन्हें श्री संजीव यादव, संयुक्त निदेशक (डीपीसी), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कमरा संख्या 225, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002 को या ई-मेल dpc-e1hq@esic.gov.in पर भेजा जा सकता है। आपत्तियों और सुझावों को प्रोफॉर्मा में भेजा जाना चाहिए जिसके कॉलम (1) में व्यक्ति / संगठन का नाम और पता और कॉलम (2) में संशोधित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रावधान और कॉलम (3) में प्रतिस्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित संशोधित प्रावधान और कॉलम (4) में उसके कारणों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्धारित समाप्ति अवधि से पहले प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर निगम द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

नई दिल्ली, दिनांक: 2026

सं. ए-12(11)5/2024-स्था. I.—सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 157 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (ग) एवम धारा 24 की उपधारा (8) के खंड (क) और (9) के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप निदेशक भर्ती विनियम, 2014 को अधिक्रमित करते हुए, उन मामलों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या करने से रह गए हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उप निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप निदेशक भर्ती विनियम, 2026 कहे जायेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनसे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होगा जो इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, उम्र-सीमा, अर्हताएं, आदि -भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरर्हता — ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है;अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु, यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैंतो वे किसी व्यक्ति को इन विनियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. शिथिलता प्रदान करने की शक्ति - जहाँ महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं ।

6. व्यावृत्ति — इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा गैरचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप निदेशक	597* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन।	लागू नहींहोता।	वेतन मैट्रिक्स मेंस्तर-10 (₹56,100 - 1,77,500)। नोट :वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (₹ 56100-177500) में उप निदेशक, पांच वर्ष की नियमित सेवा संतोषजनक रूप से पूरी करने पर, अप्रकार्यात्मक आधार पर वेतन मैट्रिक्स मेंस्तर 11 (₹ 67700 – 208700) प्राप्त करने के पात्र होंगे।	चयन पद

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी
(6)	(7)	(8)
32 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्र सरकारद्वा रा जारी अनुदेशों या आदेशों को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट.**-आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	अनिवार्य:किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री। **टिप्पणी (1)** अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोगया सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं। **टिप्पणी (2)** अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामलों में यदि चयन के किसी भी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की संभावना है तो	नहीं।

	अनुभव संबंधी अर्हताएं(ए) संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है/हैं।	
परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति - सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष। **नोट**.-सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए परिवीक्षा के सफल समापन के हिस्से के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विहित और प्रायोजितअनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण होगा।	(i) पचास प्रतिशत (50%) पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर अल्पावधि संविदा/ आमेलन सहित प्रति नियुक्ति द्वारा; और (ii) पचास प्रतिशत (50%) सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर अल्पावधि संविदा/ आमेलन सहित प्रतिनि युक्ति द्वारा।	पदोन्नति द्वारा : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (₹ 47600-151100) में सहायक निदेशक या प्रबंधक ग्रेड-I में चार वर्ष की नियमित सेवा। **नोट 1–** इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि पर नियमित आधार पर फीडरपद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा दो वर्ष बनी रहेगी **नोट 2.-** पदोन्नति, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले उप निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्ण करने के शर्ताधीन होगी। बशर्ते जिन व्यक्तियों ने विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से पूर्व पदोन्नति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है, उन पर भी इस शर्त के अधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। बशर्ते यह भी कि दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पदोन्नति हेतु इस प्रशिक्षण को पूरा करने से छूट होगी। **नोट 3.**-जहाँ पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपनी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा

		ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)/आमेलन : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सांविधिक या स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/अनुसंधान संस्थान के अधिकारी : (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हों;या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 (₹ 53,100-1,67,800) मेंया इसके समकक्ष पद परदो वर्ष की नियमित सेवाहो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स केस्तर 8 (₹ 47,600-1,51,100) मेंया इसके समकक्ष पद पर चार वर्ष की नियमित सेवा हो (ख)निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री (ii) वित्तीय या प्रशासनिक मामलों में अथवा सामाजिक सुरक्षा योजना अथवा श्रम विधि से संबंधित कार्यों मेंतीन वर्ष का अनुभव। **नोट 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारतया: पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहींहोगी।

		नोट 2: फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे होता है		वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)		(13)
विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) का गठन:- 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष 2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीमा आयुक्त के स्तर के एक अधिकारी – सदस्य 3. बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम - सदस्य विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) का गठन: सीधे भर्ती या उप निदेशक (वरिष्ठ समय–मान) के पद पर पदोन्नति के मामले में विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) का गठन : 1. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम – अध्यक्ष 2. बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम - सदस्य 3. बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय - सदस्य		प्रत्येक अवसर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक।

अशोक कुमार सिंह, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./424/2026-27]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2026

No. A-12(11)5/2024-Estt. I.—The following draft regulations, which the Corporation proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 157 read with clause (a) of sub-section (8) and sub-section (9) of section 24 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of theEmployees' State Insurance Corporation, Deputy Director Recruitment Regulations, 2014 made by the Corporation in exercise of the powers conferred by the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), which are repealed by section 164 of the said Code on Social Security, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by section 158, for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Sanjeev Yadav, Joint Director (DPC), Employees' State Insurance Corporation, Room No. 225, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-110002 or by e-mail- dpc-e1hq@esic.gov.in. The objections and suggestions should be sent in a proforma containing column (1) specifying the name and address of the person/organization and column (2) specifying provision which is proposed to be modified and column (3) specifying the revised provision proposed to be substituted and column (4) reasons therefor;

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the Corporation.

Draft Regulations

New Delhi: …….. 2026

No. A-12(11)5/2024-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 157 read with clause (a) of sub-section (8) andsub-section (9) of section 24 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation, Deputy Director Recruitment Regulations, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes with the approval of the Central Government the following regulations, regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Deputy Director, Recruitment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in Pay Matrix.- The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age- limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Chairman of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this regulation.

5. Power to relax.- Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, with the approval of the Chairman of the Employees' State Insurance Corporation, after taking prior approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations, with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these regulations shall affect the reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Director.	597*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	Not applicable.	Level -10 in the pay matrix (Rs.56,100- 1,77,500). Note: Deputy Directors in Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500), on satisfactory completion of five years of regular service, shall be eligible for grant of Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700) on Non-functional basis.	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty-two years of age. (Relaxable for the Government servants and employees of the Employees' State Insurance Corporation up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential: Bachelor's degree from a recognised university/ institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission or the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, if at any stage of selection the Union Public Service Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years. **Note.-** There shall be mandatory induction training for direct recruits as prescribed and sponsored by Employees' State Insurance Corporation as part of successful completion of probation.	(i) Fifty percent by promotion failing which by deputation including short-term contract/absorption; and (ii) Fifty percent by direct recruitment failing which by deputation including short-term contract/ absorption.	By promotion: Assistant Director or Manager Grade-I in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) with four year's regular service in the grade. **Note 1**.- The eligibility service shall continue to be two years for persons holding feeder posts on regular basis, on the date of notification of these regulations. **Note 2.-** Promotion shall be subject to completion of mandatory training program for promotion to the post of Deputy Director as conducted by the Employees State Insurance Corporation from time to time: Provided that officers who have not completed mandatory training for promotion before the date of meeting of Departmental Promotion Committee will also be considered subject to the condition that such officers shall complete the required training within one year of the date of meeting of Departmental Promotion Committee: Provided further that those officers who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training for promotion. **Note 3.**- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short-term contract) /absorption: Officers of Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies or Recognized University/Institute/Research Institution: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in post in level 9 (Rs. 53,100 -1,67,800) in the pay matrix and equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years regular service in post in level 8 (Rs. 47600 – 151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department (b) possessing the following educational qualifications and experience:

		(i) Bachelors Degree from a recognized University/ Institute; (ii) three years experience in financial or administrative matters or dealing with social security scheme or labour law. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of application. **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairperson 2. An officer of Employees' State Insurance Corporation of the level of Insurance Commissioner - Member 3. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Employees' State Insurance Corporation - Member Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) in case of direct recruits or promotion to Deputy Director (Senior Time Scale) consisting of: 1. Director General, Employees' State Insurance Corporation -Chairperson 2. Insurance Commissioner (Personnel and Administration), Employees' State Insurance Corporation -Member 3. Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation, Headquarters -Member		Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

ASHOK KUMAR SINGH, Director General
[ADVT.-III/4/Exty./424/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA